न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 10.05.2021

मुकदमा नं0222/2021
पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

बलवीरसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायल

बनाम

1. धारासिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति जाट निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन
2. विक्रमसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति जाट निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट सायल

निर्णय दिनांक :– 2-9-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने उपरोक्त उनवानी दावा बावत् विभाजन कृषि आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरूद्ध माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 122/2558 रकबा 0.03 है0, 124/2555 रकबा 0.04 है0, 125/2557 रकबा 0.10 है0, 127 रकबा 0.07 है0, 129 रकबा 0.88 है0, 183/2556 रकबा 0.08 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 है0 ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र पक्षकारान मुकदमा सायल व गैरसायल सं01 व 2 की पैत्रिक पुश्तैनी कृषि भूमि है जो उन्हें अपने पूर्वज रणजीतसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर पक्षकारान राजस्व [illegible] अनुसार बाहमी बंटवारे के हिसाब से काबिज होकर बदस्तूर काश्त [illegible] आ रहे हैं, परन्तु विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। राजस्व [illegible] हिस्सा, गैरसायल सं01 का 1/3 हिस्सा व गैरसायल सं02 का 1/3 [illegible] दर्ज है। सायल व गैरसायल सं01 व 2 का सजरा अंकित किया है जिसमें [illegible]जीतसिंह (फौत), के [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

भगवानसिंह, धारासिंह, विक्रमसिंह हैं तथा भगवानसिंह का एक लडका बलवीरसिंह है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र पक्षकारान की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से काश्त के समय डोल मेड को लेकर व भूमि के उपयोग उपभोग बाबत् पक्षकारान के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायलान से दिनांक 15.04.2021 को भूमि वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र वर्तमान में खाली पडी हुई है। मौजूदा भूमि पर फसल नहीं होने से बंटवारे के लिए नापतोल में सुविधा होगी। हम सब मिलकर तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष चलकर भूमि वर्णिम मद नं02 प्रार्थना पत्र का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा कराकर अलग अलग खातेदारी व लगान का निर्धारण करा लेते हैं तो गैरसायलान इतना सुनकर आग बबूला हो गये और भूमि का विधिवत बंटवारा कराने व सायल की हकूक खातेदारी से भी इन्कार कर दिया है। गैरसायलान अत्यन्त ही चतुर चालाक व बेईमान किस्म के धन बल व बाहूबल वाले व्यक्ति हैं। विवादित भूमि में से कुछ भूमि सडक के सहारे स्थित है, इसलिए गैरसायलान के मन में बेईमानी आ गई है और भूमि से सायल को बेदखल करने पर आमादा हैं। गैरसायलान ने सायल को यह भी धमकी दी है कि वे सायल के हिस्से की विवादित भूमि पर नाजायज तरीके से सायल को विधि विरूद्ध बेदखल कर अपना अवैध कब्जा करेंगे अगर सायल ने विरोध किया या अन्य कोई कार्यवाही की तो उसे बुरा परिणाम भुगतना पडेगा। सायल को यह पूरा पूरा अंदेशा हो गया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त मंसूबों में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति पहुँचेगी जिसकी पूर्ति होना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि गैरसायलान अपनी बेजा हरकतों से तब वाज नहीं आवेंगे जब तक कि उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया जावेगा। पाबन्द न करने की सूरत में सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति दृव्य से सम्भव नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला [illegible] इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि कवे सायल की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात खसरा नम्बर 122/2558 रकबा 0.03 है0, 124/2555 रकबा 0.04 है0, 125/2557 रकबा 0.10 है0, 127 रकबा 0.07 है0, 129 रकबा 0.88 है0, 183/2556 रकबा 0.08 है0, कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:30:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

किता 6 कुल रकबा 1.20 है0 ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन में सायल के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करें, भूमि को सायल को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें, ना ही सायल को भूमि से बेदखल करें, गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें, जिससे सायल के हक, हकूकों की हकतल्फी हो। गैरसायलान भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध दिनांक 07.07.2021 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 पेश की है।

वकील सायल उपस्थित। वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायल की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 122/2558 रकबा 0.03 है0, 124/2555 रकबा 0.04 है0, 125/2557 रकबा 0.10 है0, 127 रकबा 0.07 है0, 129 रकबा 0.88 है0, 183/2556 रकबा 0.08 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 है0 ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी धारासिंह पुत्र रणजीतसिंह हि01/3 जाति जाट सा0देह खातेदार, बलवीरसिंह पुत्र भगवानसिंह हि01/3 जाति जाट सा0देह खातेदार, विक्रमसिंह पुत्र रणजीतसिंह हि01/3 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 122/2558 रकबा 0.03 है0,124/2555 रकबा 0.04 है0, 125/2557 रकबा 0.10 है0, 127 रकबा 0.07 है0, 129 रकबा 0.88 है0, 183/2556 रकबा 0.08 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 है0 ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन में सायल हि01/3 एवं गैरसायल सं01 हि01/3, गैरसायल सं0 2 हि01/3 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र की रिलीफ में उक्त सम्पूर्ण आराजीयात के बाबत् गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की रिलीफ चाही गई है। सायल ने अपने हिस्सा 1/3 की हद तक रिलीफ नहीं चाही गई है। जबकि गैरसायलान [illegible] विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण उनका [illegible] खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा [illegible] है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:30 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

गैरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। सायल के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि गैरसायलान के द्वारा सायल को उसके हिस्सा 1/3 भाग की भूमि से बेदखल किया जा रहा हो अथवा उनके द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा हो। बल्कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है, जिनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायल का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 122/2558 रकबा 0.03 है0, 124/2555 रकबा 0.04 है0, 125/2557 रकबा 0.10 है0, 127 रकबा 0.07 है0, 129 रकबा 0.88 है0, 183/2556 रकबा 0.08 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 है0 ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 10.05.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विदड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 2-9-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner